संख्या–4 / स0भू0 नीति–154 / 2016..5504..... / रा0

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

राँची, दिनांक–07-10-16

—:संकल्प:—

विषय :— अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–23.03.2010 के मद संख्या–34 "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में मात्र अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति विभागीय परिपत्र सं0–1245 / रा0, दि0–06.05.2010 के द्वारा संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित है।

प्रायः देख जा रहा है कि विभिन्न योजनाओं / परियोजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से भूमि की उपलब्धता के लिये प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनको वांछित भूमि शीघ्र उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं / परियोजनाओं का क्रियान्वयन ससमय प्रारंभ होने एवं लागत व्यय में अपेक्षित बचत होने के साथ ही, विकास एवं जन–कल्याण सम्बन्धी कार्यों का लाभ त्वरित रूप से मिलने के उद्देश्य से उक्त योजनओं के लिए भूमि का शीघ्र हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है।

अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दि0–04.10.2016, के मद सं0–02 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र सं0–1245 / रा0, दि0–06.05.2010 को संशोधित करते हुए अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त के स्थान पर उपायुक्त को प्रत्यायोजित की जाती है।

(क) विभागीय परिपत्र सं0–1245 / रा0, दि0–06.05.10 एवं पत्रांक–3026 / रा0, दि0–07.10.2010 में वर्णित शेष प्रावधान यथावत् रहेगे।

(ख) उपायुक्त के द्वारा संबंधित विभागों से सहमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित परियोजनाओं के लिये अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित भूमि के रकबा के अनुसार भूमि का अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जायेगा।

(ग) अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित निस्तारित मामलों की सूचना संबंधित उपायुक्त के द्वारा निशिचित रूप से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

7/10/16

(उदय प्रताप)

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\sankalp\Sankalp Saurav ji.docx

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 4/स0भू0 नीति–154/2016.....5504/रा....राँची, दिनांक –...07-10-16...

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 4/स0भू0 नीति–154/2016.....5504/रा....राँची, दिनांक –...07-10-16...

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 4/स0भू0 नीति–154/2016.....5504/रा....राँची, दिनांक –...07-10-16...

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव